जनपद – संतकबीरनगर*　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　*दिनाँक 26.09.2024

साइबर फ्राड हुये 25,400 (पच्चीस हजार चार सौ रु0) को साइबर सेल संतकबीरनगर द्वारा पीड़ितों के खातों में वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम ***श्री केशवनाथ*** द्वारा तेजी से फैल रहे साइबर अपराध पर प्रभावी नियत्रंण हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में साइबर सेल जनपद संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हुये अलग-अलग लोगों के साथ हुये वित्तीय फ्राड के मामलों में कुल **25,400 (पच्चीस हजार चार सौ0 रु0)** उनके बैंक खातों में वापस कराया गया है। जिस पर पीडितों द्वारा प्रसन्नता प्रकट करते हुये पुलिस को धन्यवाद दिया गया। वापस कराए गए धन का विवरण निम्नवत है-

01-सत्यभामा चौधरी पुत्री राजेश कुमार चौधरी निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर – 12400 रु0।

02-अजय कुमार यादव पुत्र श्री रामकरन यादव निवासी कोदवट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर – 13000 रु0।

उपरोक्त पैसे विभिन्न माध्यमो जैसे ओटीपी, फ्राड लिंक, फ्राड काल, लाटरी स्कैम, स्क्रीनशेयर अपलीकेशन डाउनलोड, गुगल कस्टरम केयर न0 आदि के द्वारा हुये थे जिसपर थाना साइबर सेल और जनपद साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये विभिन्न बैक/बैलेट/मर्चेन्ट आदि से पत्राचार कर पैसो को पीड़ित के खातों में वापस कराया गया।

***नोटः- यह पैसा वापस करना सम्भव हो पाया जब इन्होने इसकी सूचना तत्काल साइबर सेल को दिया गया। अतः आपके साथ यदि किसी भी तरह का साइबर अपराध घटित होता है तो इसकी सूचना तत्काल साइबर लाइन नं- 1930, 112 तथा नजदीकी थाना/साइबर सेल को दे*।**

***थाना साइबर सेल संतकबीरनगर का विवरणः-* थानाध्यक्ष महुली श्री हरेश तिवारी,** का0 सत्येन्द्र चौहान।

आम जनमानस से अपीलः-

- आप ओटीपी, सीवीवी, एटीएम नं0, आधार नं0, पैन नं0 आदि, किसी को न बताये

- एटीम पर पैसा निकालने के समय सावधानी बरते किसी का सहयोह न ले तथा ध्यान दे कि कोई आपका पीन न देखे।
- किसी भी तरह के कैसबैक, लाटरी आदि के लालच में न पडे।
- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसअप, इन्सटाग्राम, मैसेन्जर आदि पर अनजान व्यक्ति का विडियो काल और चैट से बचे।
- गुगल पर कस्टमर केयर का नं0 सर्च न करे और न ही काल करे।
- ओएलएक्स/मार्केट प्लेस पर खरीदारी करते समय पहले पेमेन्ट न करे।
- ट्रेजरी, बैक, केवाईसी अपडेट आदि के नाम पर आने वाले फोन काल पर विशेष सावधानी बरते।
- अपना मोबाइल फोन किसी को न दे नही तो सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग हो सकती है।
- आजकल रिश्तेदार के नाम पर, पेन्सिल पैंकिग जॉब, वर्क फ्राम होम जॉब के नाम पर भी साईबर अपराध किया जा रहा है यदि इस प्रकार के काल/मैसेज आये तो उसका उत्तर ना दे और किसी भी लालच में ना आये ।

नोट- आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तत्काल निम्नलिखित हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करें।

- साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930 / 112 पर काल करें।
- Cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- UPCOP मोबाइल एप से रजिस्टर e- FIR तथा अपने जनपदीय थाना व साइबर सेल से तत्काल सम्पर्क करें
- शिकायत दर्ज कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज- (बैंक रजिस्टर्ड मो0न0, खाता संख्या, UTR No./Ref No.)
- ध्यान दे व जागरूक बने।
- साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 26.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 26.09.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अदद मोटर साईकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 742/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. करन वर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी मुखलिसपुर रोड हनुमानगढ़ी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2. धर्मराज वर्मा पुत्र स्व0 अर्जुन वर्मा निवासी मोहल्ला भिटवा टोला पुरानी सब्जी मण्डी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद मोटर साईकिल तथा जामा तलाशी के 440रु0 के साथ बरदहिया बाजार में सर्विस रोड के किनारे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 25.09.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अपनी मोटर साईकिल दिनांक 25.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 26.09.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

1. करन वर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी मुखलिसपुर रोड हनुमानगढ़ी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

2. धर्मराज वर्मा पुत्र स्व0 अर्जुन वर्मा निवासी मोहल्ला भिटवा टोला पुरानी सब्जी मण्डी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरण*–** 01 अदद मोटर साईकिल, जामा तलाशी के 440रु0।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 गणेश प्रसाद, का0 संदीप यादव, का0 राजन यादव, का0 मनीष यादव ।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 26.09.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले में 02 अदद मोबाईल फोन के साथ 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 743/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित बाल अपचारी को 02 अदद मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 25.09.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध दिनांक 24.09.2024 की रात्रि में वादी के लड़के व गांव के एक व्यक्ति का मोबाईल फोन (कुल 02 मोबाईल फोन) चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 26.09.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***बरामदगी का विवरण*–** 02 अदद मोटर मोबाईल फोन।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल ।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 26.09.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 26.09.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 26.09.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा द्वारा कार्यवाही करते हुए गुम हुए वृद्ध को बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा आज दिनाँक 26.09.2024 को कार्यवाही करते हुए गुम हुए वृद्ध को बरामद कर परिजनो को सुपुर्द किया गया।

विदित हो कि दिनांक 25.09.2024 को समय करीब 18:00 बजे श्री दयानंद सिंह पुत्र राममिलन सिंह निवासी सिसई थाना खजनी जनपद गोरखपुर द्वारा चौकी बखिरा पर आकर सूचना दिया गया कि उनके फूफा निवासी ग्राम धनखीरिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर उम्र करीब 70 वर्ष दिनांक 23.09.2024 को रात्रि 12.00 बजे बिना बताए कही चले गए है, जो अबतक घर वापस नही आए है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी विनोद कुमार यादव मय हमराह कर्मचारीगण के सक्रिय होकर उक्त गुमशुदा का तलाश किया गया एवं व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया तो उक्त गुमशुदा आज दिनांक 26.09.2024 को सकुशल थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में मिले जिसके सम्बंध में गुमशुदा के सूचनाकर्ता एवम पुत्र रुद्रप्रताप सिंह को सुचित करके गुमशुदा को उक्त वृद्ध के पुत्र रुद्रप्रताप सिंह एवं सूचनाकर्ता दयानंद सिंह पुत्र राममिलन सिंह निवासी ग्राम सिसई थाना खजनी जनपद गोरखपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। पूछताछ में गुमशुदा द्वारा बताया गया की वह अयोध्या दर्शन करने चले गये थे।